

न्यायालय तहसीलदार कठूमर (अलवर) राज.

सरकार जरिये रिपोर्ट पटवारी हल्का टिपूरी बनाम भगवाना 510 डुकडी जाटव

प्रकरण अन्तगत धारा 91एलआर एक्ट

प्रकरण संख्या :- 56/18

निर्णय दिनांक :- 28/2/18

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम सिताहेडा की आ.ख.न. 1429 कुल रकबा 0.20 किस्म जमीन 0.01 में से 0.01 रकबे पर श्री भगवान 510 डुकडी जाटव पर नेण्णुमाथर पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर नेण्णुमाथर कब्जा कर लिया है। इस पर पटवारी हल्का टिपूरी द्वारा दिनांक 14/2/18 को उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय ताईद भू.अ.निरी. टिपूरी के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी भगवान 510 डुकडी जाटव जाति जाटव निवासी सिताहेडा को भू.राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील कराई गई। नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अतिक्रमी

उपस्थित <sup>नहीं</sup> आया। जवाब नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रावली है। उक्त रकबवा आ.ख.न. 1429 रकबा 0.20 में से 0.01 रकबे किस्म नेण्णुमाथर है जो नियमन के योग्य नहीं है लिहाजा वैरसायम को अतिक्रमित रकबे से बेदखल किया जाने के आदेश दिये जाते हैं एवं दण्ड स्वरूप लगान 27 Paise का 50 गुणा 141/- रुपये <sup>चाह</sup> पैनल्टी आरोपित की जाती है मांगा कायमी हेतु टीआरए को लिखा जावे, पैनल्टी वसूली एवं बेदखली हेतु हल्का पटवारी टिपूरी भू.अ.निरी. टिपूरी को लिखा जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।



तहसीलदार  
कठूमर, अलवर (राज.)